छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

दूरभाष नं. 0771–3057042 फैक्स नं. 0771–2429385

क्रमांक / / /अशा.मान्यता / 2017. रायपुर, दिनांक / /2017

प्रति,

Principal
Brilliant Public School
Banari
Distt.- Janjgir (C.G.)

विषयः— छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रतिनिधि नियुक्त करने बाबत्।
संदर्भः— आपका पत्र क्रमांक / 514 / 2017 दिनांक 20.02.2017.

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र द्वारा संस्था **Brilliant Public School Banari Distt.- Janjgir (C.G.)** के द्वारा सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम संचालन हेतु शाला प्रबंध समिति में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर के प्रतिनिधि का नामांकन चाहा गया है। यदि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल से मान्यता मिलती है, तो आपको इस कार्यालय को सूचित करना होगा। इस कार्यालय से उपसचिव मान्यता को नामांकित किया जाता है।

उपसचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल
रायपुर

पृ.क्रमांक / /अशा.मान्यता / 2017. रायपुर, दिनांक / /2017

प्रतिलिपिः—

1. संचालक, लोकशिक्षण, संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.)की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

उपसचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल
रायपुर

लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ
इन्द्रावती भवन, ब्लॉक –सी, प्रथम तल नया रायपुर

क्रमांक/अनुदान/CBSE/NOC/2017–18/ 217   नया रायपुर, दिनांक 13.06.2017

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर ।

विषयः–राज्य शासन द्वारा अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को सी.बी.एस.ई.पाठ्यक्रम से संबद्धता के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने विषयक–**अशासकीय ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल बनारी, वि0ख0नवागढ, जिला जॉजगीर–चॉपा।**

संदर्भः– जिला शिक्षा अधिकारी, जांजगीर का पत्र क्रमांक/अनुमति/मान्यता/2016–17/ 1867 दिनांक 16.05.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा अशासकीय ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल बनारी, वि.ख. नवागढ, जिला जॉजगीर–चॉपा को सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर का आदेश क्रमांक एफ 6–1/2008/20–तीन, रायपुर, दिनांक 09/07/2013 के अनुक्रम में अभिलख का परीक्षण उपरान्त प्रकरण की स्थिति निम्नानुसार है :–

1/ **कार्यकारिणी में माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा सदस्य का नामांकन होना चाहिये :–**

संस्था की कार्यकारिणी में छ.ग.माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रतिनिधि के रूप में उपसचिव मान्यता को नामांकित किया गया है । (ध्वज I)

2/ **विभागीय अनापत्ति हेतु संस्था को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल दिल्ली (सी.बी.एस.सी.) द्वारा निर्धारित प्रपत्र में समस्त आवश्यक अभिलेख सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।**

संस्था द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। (ध्वज– II)

3/ **सी.बी.एस.ई. से संबंद्धता उपरान्त संस्था राज्य शासन द्वारा आयोजित स्काउट्स गाईडस, रेडकास, एन.सी.सी. एवं एन.एस.एस. की गतिविधियों में भाग लेगी, इस बात का उल्लेख शपथ पत्र में किया गया है ।**

शपथ–पत्र के कमांक (3) में इस बात का उल्लेख किया गया है । (ध्वज– III)

4/ **विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यकम तथा अन्य छात्र–शिक्षकों को गतिविधियों के लिए खेल मैदान, छात्रावास भवन सुविधा आदि आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करावेंगे, शपथ पत्र में उल्लेख है।**

शपथ–पत्र के क्रमांक (4) में इस बात का उल्लेख किया गया है । (ध्वज– III)

5/ इन संस्थाओं के संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर, विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने का अधिकार होगा, शपथ पत्रमें उल्लेख है ।

शपथ–पत्र के कमांक (5) में इस बात का उल्लेख किया गया है । (ध्वज– III)

6/ केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से संबद्धता प्राप्त होने पर संस्थायें छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग व लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग. द्वारा समय–समय पर शिक्षा के प्रबंधन एवं विकास के संबंध में जारी तथा अन्य निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगी, शपथ पत्र में उल्लेख किया गया है ।

शपथ–पत्र के कमांक (6) में इस बात का उल्लेख किया गया है । (ध्वज– III)

7/ कार्यकारिणी में स्कूल शिक्षा विभाग राज्य शासन की ओर से सदस्य नामांकित होना चाहियेः–

जिला शिक्षा अधिकारी, जॉजगीर–चॉपा के पत्र कमांक 565 दिनांक 21.02.2017 के द्वारा प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्या जॉजगीर को मनोनित किया गया है। (ध्वज– IV)

8/ प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेला का आयोजन आदि में सहयोग एवं सार्थक भूमिका प्रदान करेंगे, शपथ पत्र में उल्लेख है।

शपथ–पत्र के कमांक (8) में इस बात का उल्लेख किया गया है । (ध्वज– III)

9/ अशासकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रवेश संबंधी नियम, प्रकिया तथा निर्धारित शुल्क यथा समय प्रकाशित की जायेगी। शिक्षण शुल्क लेने में पालको का शोषण नहीं किया जायेगा।

शपथ–पत्र के कमांक (9) में इस बात का उल्लेख किया गया है । (ध्वज– III)

10/ छात्र/छात्राओं को शालाओं में लगने वाली पुस्तकों एवं लेखन सामग्री खुला बाजार से कय करने की सुविधा रहेगी। संस्था द्वारा छात्रों को उक्त सामग्री किसी दुकान विशेष से कय करने को बाध्य नहीं किया जावेगा।

शपथ–पत्र के कमांक (10) में इस बात का उल्लेख किया गया है । (ध्वज– III)

11/ शिक्षण संस्थाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार कियाशील अग्नि शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकारी द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय–समय पर जारी किये जाने वाले सभी निर्देशों का पालन संस्थाओं को करना होगा ।

शपथ–पत्र के कमांक (11) में इस बात का उल्लेख किया गया है । (ध्वज– III)

12/ संस्था के छात्रों को निवास से विद्यालय तक लाने एवं वापस निवास तक भेजने के लिए परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वैद्य वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले

पेज`3 पर

वाहनों को किसी भी ऐसे ज्वलनशील साधन जैसे घरेलू एल.पी.जी. आदि से संचालित नहीं किया जायेगा ।

शपथ–पत्र के कमांक (12) में इस बात का उल्लेख किया गया है । (ध्वज– III)

13/ निःशक्त छात्रों के लिए संस्था को रेम्प की व्यवस्था करना आवश्यक होगा । कोई भी संस्था निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगी । इस संबंध में प्राप्त शिकायत यदि सिद्ध पाई गई तो संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी ।

शपथ–पत्र के कमांक (13) में इस बात का उल्लेख किया गया है । (ध्वज– III)

14/ संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेदभाव तथा साम्प्रायिकता का बढ़ावा देने वाले किन्ही पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं छ.ग.शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेगी।

शपथ–पत्र के कमांक (14) में इस बात का उल्लेख किया गया है । (ध्वज– III)

सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. पाठ्यकम से संबद्धता के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली के अनुदेश के अनुकम में निम्नांकित जानकारी प्रस्तुत की गई है :–

1/ प्रस्तावित शाला को राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिये।
जिला शिक्षा अधिकारी, जॉजगीर–चॉपा के आदेश कमांक अनुदान/मान्यता/2017–18/5551 दिनांक 19.01.2017 के द्वारा अशासकीय ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल बनारी,वि0ख0नवागढ़, को कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के लिये सत्र 2017–18 हेतु अस्थाई मान्यता प्रदान की गई है। (ध्वज– V)

2. विद्यालय सोसायटी के पास भूमिः–संस्था के पास स्वयं की भूमि नहीं है। भूमि पट्टे पर लिया गया है। जिसका क्षेत्रफल, 3.11 एकड़ है। बिल्डअप एरिया 6900 स्वायर मीटर है। खेल मैदान 15000 स्वायर मीटर है। भूमि पट्टे पर लिया गया है। भूमि का नक्सा, खसरा नम्बर किराया अनुबंध इत्यादि से संबंधित समस्त अभिलेख की छायाप्रति। (ध्वज– VI)

4. संस्था में कम्प्यूटर लैब, साइंस लैब, मैथ्स लैब, ग्रंथालय इत्यादि की समुचित व्यवस्था है। (ध्वज– VII)

5. संस्था में कक्षा प्लेग्रुप नर्सरी से कक्षा 12वीं तक कुल 118 छात्र–छात्राएं अध्ययनरत हैं। संख्या कक्षावार छात्र संख्या की जानकारी संलग्न है। (ध्वज– VIII)

6. विद्यालय में कुल 26 शिक्षक/कर्मचारी कार्यरत हैं। स्टाफ की सूची (पद, शैक्षणिक योग्यता, वेतनमान सहित जानकारी) संलग्न है। (ध्वज– IX)

7. शिक्षण समिति का नाम 21st एजूकेशन सोसायटी अकलतरा रोड, जॉजगीर है। पंजीयन कमांक 31903 दिनांक 07.02.2017 है। प्रमाण–पत्र एवं समिति की नियमावली व समिति के सदस्यों की सूची आदि की जानकारी संलग्न है। (ध्वज– X)

8. स्कूल में पेयजल, अग्नि शमन यंत्र उपलब्ध होने संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न है। (ध्वज– XI)

9. छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, के निर्देश दिनांक 09.07.2013 में उल्लेख समस्त बिन्दुवार निर्देशों के पालन करने संबंधी शपथ पत्र संलग्न है। (ध्वज– III)

12. उक्त संस्था का वर्ष 2016–15 एवं वर्ष 2016–17 का आडिट रिपोंट संलग्न है। (ध्वज– XII)
13. स्कूल में पालक संघ समिति गठित संबंधी जानकारी संलग्न है । (ध्वज– XIII)
14. शाला में कार्यरत 19 शिक्षकों का बी.एड. / डी.एड. / बी.पी.एड. / बी.लिब. प्रशिक्षितों के प्रमाण–पत्र संलग्न है। (ध्वज– XIV)
15. शिक्षा सत्र 2016–17 एवं सत्र 2017–18 का शिक्षण शुल्क विवरण प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार शुल्क में वृद्धि नहीं की गई है।

जिला शिक्षा अधिकारी जॉजगीर–चॉपा द्वारा उक्त संस्था को सी.बी.एस.ई द्वारा सम्बद्धता दिये जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने अनुशंसा की गई है। नियमानुसार प्रस्ताव पूर्ण है। अतः **अशासकीय ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल बनारी, वि0ख0नवागढ, जिला जॉजगीर–चॉपा** को सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु अनुशंसा सहित प्रस्ताव अनुशंसा सहित प्रेषित है ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

पृष्ठा0कमांक / अनुदान / CBSE / NOC / 2017–18 / 218 नया रायपुर दिनांक 13.06.2017

प्रतिलिपिः–

1. जिला शिक्षा अधिकारी जिला जॉजगीर–चांपा (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ ।
2. प्राचार्य, अशासकीय ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल बनारी, वि0ख0नवागढ, जिला जॉजगीर–चॉपा की ओर सूचनार्थ ।

संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

o/c

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय

महानदी भवन, नया रायपुर

कमांक F-6-16/2017/20-तीन नया रायपुर, दिनांक 23.06.2017

प्रेषक,

पी0के0 पांडेय
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग

प्रेषिति,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र-2 कम्प्यूनिटी सेंटर,
प्रीत विहार, नई दिल्ली ।

विषयः- सी0बी0एस0ई0 पाठ्यकम से संबद्धता के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने बाबत- अशासकीय ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल बनारी, विकासखण्ड नवागढ़, जिला जांजगीर-चांपा, छ0ग0 ।

=00=

विषयान्तर्गत राज्य शासन एतद् द्वारा अशासकीय ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल बनारी, विकासखण्ड नवागढ़, जिला जांजगीर-चांपा (छ0ग0) को शिक्षा सत्र 2017-18 से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रदान करता है ।

23.6.17

(पी0के0 पांडेय)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ0 कमांक F-6-16/2017/20-तीन नया रायपुर, दिनांक 23.06.2017

प्रतिलिपिः-

01. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।

02. संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर उनके पत्र कमांक अनुदान/CBSE/NOC/2017-18/217 दिनांक 13.06.2017 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

03. कलेक्टर जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ ।

04. जिला शिक्षा अधिकारी, जांजगीर-चांपा, छ0ग0 ।

05. प्राचार्य, अशासकीय ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल बनारी, विकासखण्ड नवागढ़, जिला जांजगीर-चांपा (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

06. गार्ड फाईल ।

की ओर सूचनार्थ ।

23.6.17

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी

स्कूल शिक्षा विभाग